

न्यायालय-ए0के0गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)आपराधिक प्रक0क्र0-2298 / 2014संस्थित दिनांक-26.12.14

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र मौ

जिला-भिण्ड (म0प्र0)

.....अभियोगी

विरुद्ध

1. होलेन्द्र उर्फ हरेन्द्र पुत्र मंशाराम जाटव

उम्र 31 साल, निवासी नैनोली कॉलोनी थाना मौ

2. मंशाराम पुत्र सरमन जाटव उम्र 63 साल

निवासी नैनोली कॉलोनी थाना मौ

जिला भिण्ड म0प्र0

.....अभियुक्तगण

-:: निर्णय ::-**{आज दिनांक 15.01.2018 को घोषित}**

अभियुक्त होलेन्द्र उर्फ हरेन्द्र पर भारतीय दंड संहिता 1860 (जिसे अत्र पश्चात "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 304 ए एवं मोटरयान अधि० की धारा 3/181, 39/191, 146/192 के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 30.08.14 को शाम 6:30 बजे या उसके लगभग मौ मेहगांव रोड मंगल ढावा के पास थाना मौ जिला भिण्ड पर मोटरसाईकिल क्रमांक एम0पी0-07 एम0बी0-2137 को लोक मार्ग पर उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर रवि शर्मा को टक्कर मारकर ऐसी मृत्यु कारित की जो आपराधिक मानव बध की कोटि में नहीं आती तथा उक्त वाहन को सार्वजनिक मार्ग पर बिना प्रभावी चालन अनुज्ञप्ति, बिना वैध रजिस्ट्रीकरण तथा बिना पर व्यक्ति जोखिम बीमा के चलाया तथा अभियुक्त मंशाराम के विरुद्ध मोटरयान अधि० की धारा 5/180, 39/192 एवं 146/196 के अधीन यह आरोप है कि उसने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन के स्वामी होते हुए बिना रजिस्ट्रीकरण, बिना परव्यक्ति जोखिम बीमा तथा बिना प्रभावी चालन अनुज्ञप्तिधारी होलेन्द्र से चलवाया।

2. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक 30.08.2014 को रात्रि करीब दस बजे आरक्षी केन्द्र मौ अंतर्गत मौ-मेहगांव रोड मंगल ढावा के पास रवि शर्मा अपनी मोटरसाईकिल पर जा रहा था और अन्य मोटरसाईकिल पर दीपक एवं राकेश जा रहे थे। इतने में एक मोटरसाईकिल क्र० एम0पी0-07 एम0बी0-2137 को उसका चालक होलेन्द्र उर्फ हरेन्द्र तेजी व लापरवाही से चलाकर लाया और टक्कर मार दी जिससे इलाज के दौरान रवि शर्मा की जयारोग्य चिकित्सालय ग्वालियर में

मृत्यु हो गयी। उक्त सूचना के आधार पर मर्ग इंटीमेशन दर्ज किया गया। शव परीक्षण कराया गया। मर्ग जांच उपरांत अपराध क्रमांक 322/14 पंजीबद्ध किया गया। दौरान अनुसंधान नक्शामौका बनाया गया, साक्षियों के कथन लिए गए, अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तार पत्रक, जब्ती कर जब्ती पत्रक बनाया गया, वाहन की मैकेनिकल जांच कराई गयी। बाद अनुसंधान अभियोगपत्र पेश किया गया।

3. अभियुक्तगण को पद क्र 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। दफ्तरी धारा 313 के अधीन अभियुक्तगण ने अपने कथन में निर्दोष होना तथा झूठा फंसाया जाना बताया।

4. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं -

1. क्या अभियुक्त होलेन्द्र ने दि 30.08.14 को शाम 6:30 बजे मौ मेहगांव रोड मंगल ढावा के पास थाना मौ जिला भिण्ड पर मोटरसाईकिल क्रमांक एम0पी0-07 एम0बी0-2137 को लोक मार्ग पर उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर रवि शर्मा को टक्कर मारकर ऐसी मृत्यु कारित की जो आपराधिक मानव बध की कोटि में नहीं आती ?
2. क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को सार्वजनिक मार्ग पर बिना प्रभावी चालन अनुज्ञप्ति, बिना वैध पंजीयन तथा बिना पर व्यक्ति जोखिम बीमा के चलाया ?
3. क्या अभियुक्त मंशाराम ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन के स्वामी होते हुए बिना वैध पंजीयन, बिना परव्यक्ति जोखिम बीमा एवं तथा बिना प्रभावी चालन अनुज्ञप्तिधारी होलेन्द्र से चलवाया ?

-:: सकारण निष्कर्ष ::-

5. अभियोजन की ओर से प्रकरण में राकेश अ0सा0 1, दीपक व्यास अ0सा0 2, उमेश कुमार अ0सा0 3, रविन्द्र अ0सा0 4, बी0एस0 तोमर अ0सा0 5 को परीक्षित कराया गया है, जबकि अभियुक्तगण की ओर से बचाव में किसी साक्षी का कथन नहीं कराया गया है।

// विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 //

6- अभियोजन की ओर से प्रकरण में प्रस्तुत साक्षी राकेश अ0सा0 1 यह कथन करते हैं कि दिनांक 30.08.14 को वे तथा दीपक मोटरसाईकिल से भिण्ड से मौ आ रहे थे। मेहगांव में रवि मिला जो आगे चल रहा था और वह पीछे चलने लगा तब मंगल होटल के सामने रवि की मोटरसाईकिल का एक्सीडेंट होलेन्द्र की मोटरसाईकिल एम0पी0-07-2137 से हो गया। यह भी कथन करता है कि उसने थाने और एम्बुलैस वालों को सूचना दी थी और रवि तुरंत ही खत्म (मृत) हो गया था। दीपक अ0सा0 2 इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि वे राकेश के साथ मोटरसाईकिल पर भिण्ड से मौ के लिए जा रहे थे और रवि शर्मा उन्हें मेहगांव में मिला, जिसने उनकी गाडी रूकवाई और एटीएम से पैसे निकालने लगा और कहाकि साथ में मौ चलूंगा इसके बाद मेहगांव चौराहे पर 5 मिनट रुक कर मौ

के लिए चल दिए। वह तथा राकेश मोटरसाईकिल से और रवि अपनी मोटरसाईकिल से चल दिया। दंदरौआ पहुंचे तो थोड़ी सी वारिश होने लगी और रवि गाड़ी लेकर थोड़ा आगे निकल गया, वे लोग पीछे चलते रहे और मौ के पास यादव ढावे पर गाड़ी पहुंची तब हौलेन्द्र की मोटरसाईकिल से रवि की मोटरसाईकिल की टक्कर हो गयी, तब उसने देखा कि रवि टक्कर के कारण बबूल के पेड़ से टकरा कर गिर गया, उसकी हल्की हल्की सांसे चल रही थी और उसे हिचकी आ रही थी। साक्षी यह कथन करता है कि उसने तत्काल 108 एम्बुलेंस एवं रवि के घरवालों को सूचना दी।

7- साक्षी उमेश अ0सा0 2 यह कथन करता है कि डेढ़ वर्ष पूर्व उसे राकेश ने फोन पर बताया कि उसके भतीजे रवि का एक्सीडेंट ढावे पर हो गया है। साक्षी यह कथन करता है कि जब वह पहुंचा तब एम्बुलेंस पहुंच गयी थी जिसमें रवि को रख लिया था और थाने लाए थे। यह भी कथन करते हैं कि एक्सीडेंट में रवि की मृत्यु हो गयी थी। साक्षी प्र0पी0 2 के मृत्यु जांच में उपस्थित होने के आवेदन एवं नक्शा पंचायतनामा लाश प्र0पी0 3 पर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर होने का कथन करते हैं। डा0 बी0एस0 तोमर अ0सा0 5 यह कथन करते हैं कि दिनांक 31.08.14 को वे जयारोग्य चिकित्सालय ग्वालियर में आकस्मिक चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ थे। उक्त दिनांक को मृतक रवि पुत्र रमेशचंद का शव परीक्षण आवेदन आरक्षक अंगदसिंह द्वारा प्रस्तुत करने, उसके भाई रविन्द्र शर्मा द्वारा पहचाने जाने पर शव परीक्षण किया था। शव परीक्षण में मृतक को मृत्यु पूर्व की बाह्य परीक्षण में चोटें निम्नानुसार पाई थी-

1-खरोंच का निशान बाएं गाल पर तथा चेहरे पर बांयी तरफ 13 गुणा 6 सेमी0 था।

2-फटा घाव बाएं हाथ के नीचे 2 गुणा 1 सेमी0 त्वचा की गहराई तक था।

3-खरोंच का निशान माथे पर 3.5 गुणा 3 सेमी0 आड़ा उपस्थित था।

4-खरोंच का निशान सिर में बाएं फ्रन्टो टैम्पोरल भाग पर 5 गुणा 4 सेमी0 का उप0 था।

5-नीलगू निशान सीने पर 14 गुणा 11 सेमी0 मौजूद था।

आंतरिक परीक्षण-

सिर में बांयी तरफ फ्रन्टल हड्डी टूटी हुई थी, दिमाग में बाएं फ्रन्टो टैम्पोरल भाग में 5 गुणा 4 गुणा 1 सेमी0 खून का थक्का था तथा दिमाग में बांयी तरफ 3 गुणा 2 सेमी0 नीलगू निशान था। बांयी तीसरी व चौथी पसली टूटी हुई थी। मैक्सिला हड्डी बांयी तरफ से टूटी थी। बाएं फेफड़े में 4 गुणा 3 सेमी0 का नीलगू निशान था तथा फ्लूरा में बांयी तरफ खून भरा था। पेट खाली व यकृत, प्लीहा व गुर्दे संकुचित थे।

8- चिकित्सक डा0 बी0एस0 तोमर अ0सा0 5 द्वारा अभिमत दिया गया कि मृतक की सभी चोटें ताजी व मृत्यु पूर्व की थी तथा किसी सख्त व मौथरी वस्तु से आई थी और दुर्घटना में आना संभावित थी। दिमाग और सीने की चोट प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थी,

मृत्यु श्वसन तंत्र के रूक जाने से जो दिमाग और फेफड़ों की चोट के कारण हुई थी। मृत्यु परीक्षण से 3 से 24 घण्टे के अंदर की थी। शव परीक्षण रिपोर्ट प्र0पी0 7 बताकर उसके ए से ए भाग पर हस्ताक्षर होना प्रमाणित करते हैं। प्र0पी0 7 की रिपोर्ट दिनांक 31.08.2014 को दोपहर एक बजे किया जाना लेख है जिससे चिकित्सक द्वारा शव परीक्षण के उपरान्त मृतक रवि की मृत्यु की अवधि से घटना की बताई गयी अवधि संपुष्ट होती है। चिकित्सक द्वारा परीक्षण रिपोर्ट प्र0पी0 7 पदीय कर्तव्य के निर्वहन में निष्पादित किए जाने से उस पर अविश्वास किए जाने हेतु कोई आधार नहीं है। अभियुक्त की ओर से भी इस तथ्य को कोई चुनौती नहीं दी गयी कि मृतक रवि की दि0 30.08.14 को सड़क दुर्घटना के फलस्वरूप मृत्यु कारित नहीं हुई हो। इस प्रकार से मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर यह तथ्य प्रमाणित है कि दिनांक 30.08.14 को मृतक रवि की सड़क दुर्घटनाजन्य चोटों के फलस्वरूप मृत्यु कारित हुई थी।

9— प्रकरण में अब इस तथ्य का निष्कर्ष दिया जाना है कि क्या अभिकथित दुर्घटना अभियुक्त के उपेक्षा या उतावलेपन पूर्ण कृत्य से उद्भूत हुई थी ? प्रकरण में साक्षी उमेश कुमार अ0सा0 3 स्वयं अपने मुख्य परीक्षण में ही यह कथन करते हैं कि उन्हें राकेश द्वारा फोन पर बताया गया था कि उनके भतीजे मृतक रवि की दुर्घटना ढावे पर हो गयी है, इसके उपरान्त वे घटनास्थल पर पहुंचे तब एम्बुलेंस पहुंच चुकी थी। ऐसे में उक्त साक्षी की अभिसाक्ष्य अनुश्रुत साक्ष्य पर आधारित है। ऐसी दशा में उसकी साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष दिया जाना संभव नहीं है। रविन्द्र अ0सा0 4 मृतक रवि का भाई है, यह भी कथन करता है कि उसे राकेश ने बताया था और वह घटनास्थल पर मौजूद नहीं था। साक्षी प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 3 में यह कथन करता है कि उसे घटना में लिप्त वाहन एम0पी0-07 एम0बी0-2137 का नंबर दीपक व राकेश ने बताया था। ऐसी दशा में उक्त साक्षी की अभिसाक्ष्य अनुश्रुत साक्ष्य पर आधारित होने से अभियुक्त के विरुद्ध सारवान नहीं रह जाती है। प्रकरण में मुख्य रूप से चक्षुदर्शी साक्षी व सर्वोत्तम साक्षी के रूप में राकेश अ0सा0 1 एवं दीपक व्यास अ0सा0 2 हैं।

10— साक्षी राकेश अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन करते हैं कि वे मौ के रहने वाले हैं और अभियुक्त हौलेन्द्र बस स्टैंड के पास रहता था परंतु उसका मकान कहां है यह बताने में अस्मर्थ हैं। इसके अतिरिक्त अभियुक्त हौलेन्द्र के पिता का नाम मंशाराम बताते हैं। इस प्रकार से साक्षी अभियुक्त को पहले से ही जानते थे। साक्षी यह कथन करते हैं कि उन्हें थाने पर 22 तारीख को बुलाया, उसी दिन हस्ताक्षर करा लिए, इसके अलावा और कोई हस्ताक्षर नहीं कराए। साक्षी स्वयं को सूचनाकर्ता होना बताता है और कण्डिका 4 में कथन करता है कि वह रवि को घटनास्थल पर छोड़ आया था और थाने पर आकर सूचना दी, इसके बाद घर चला आया था। उसके साक्ष्य में अभियुक्त की संलिप्तता को खण्डित किए जाने हेतु कोई सारवान साक्ष्य नहीं है, जो विरोधाभास दर्शित किए गए हैं

वे तात्विक श्रेणी में नहीं आते हैं। जैसे साक्षी द्वारा पुलिस कथन प्र0डी0 1 में पुलिस को टक्कर आमने सामने होने की बात लिखाए जाने तथा पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखाए जाने की बात प्र0डी0 1 के पुलिस कथन में बताए जाने का कथन किया है और प्र0डी0 1 में वह लेख भी है। ऐसी दशा में साक्षी राकेश बौहरे अ0सा0 1 के कथन पर अविश्वास का कोई आधार नहीं है।

11. दीपक अ0सा0 2 स्वयं को घटना का चक्षुदर्शी साक्षी होना बताता है। साक्षी अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन करता है कि अभियुक्त हौलेन्द्र दंदरौआ के पास किसी गांव में रहता है जिसका सही नाम याद नहीं है। साक्षी कथन करता है कि रवि की गाडी तकरीबन उसके 3 किमी0 आगे चल रही थी। साक्षी यह कथन कण्डिका 3 में करता है कि उसने मंगल ढावे के सामने उत्तर दिशा की ओर एक्सीडेंट होते देखा था। इस साक्षी का भी अभियुक्त की अपराध में संलिप्तता के संबंध में कथन किए जाने का कोई युक्तियुक्त बचाव अभिलेख पर नहीं है, जबकि इस साक्षी के द्वारा भी उसके प्रतिपरीक्षण में दर्शाए गए तथ्य तात्विक विरोधाभास की श्रेणी में नहीं आते हैं।

12. प्रकरण में अभियुक्तगण की ओर से रंजिशन झूठा फंसाए जाने का बचाव लिया है, किन्तु अभिलेख पर ऐसा कोई भी तथ्य या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है जो कि अभिकथित रूप से अभियोजन साक्षियों द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध किस रंजिशन के कारण कथन किया जा रहा है। प्रकरण में अभियुक्तगण की ओर से लिया गया बचाव मात्र कल्पना पर आधारित होना दर्शित होता है।

// विचारणीय प्रश्न क्रमांक 2 व 3 //

13- प्रकरण में अभियुक्त हौलेन्द्र पर घटना में लिफ्ट मोटरसाईकिल एम0पी0-07 एम0बी0-2137 के उपेक्षा व उतावलेपन से चलाकर दुर्घटना कारित किए जाने के संबंध में अभियोजन की साक्ष्य से तथ्य प्रमाणित है कि उसने दिनांक 30.08.14 को शाम करीब 6:30 बजे मेहगांव मौ सार्वजनिक मार्ग पर उक्त वाहन को चलाया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से मोटरयान अधिनियम के अधीन अभियुक्तगण पर अधिरोपित आरोपों के संबंध में कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी। अभिलेख पर मात्र आरोप विरचित हो जाने से अभियुक्तगण के विरुद्ध साक्ष्य की उपधारणा नहीं की जा सकती है, जब तक कि उसके संबंध में कोई तथ्य अभियोजन की ओर से मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत न किया जावे। अभियुक्त मंशाराम के वाहन के स्वामी होने के संबंध में कोई मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है, न ही अन्य अभियुक्त के संबंध में अभिकथन किया गया है। ऐसी दशा में अभियुक्तगण पर मोटरयान अधिनियम के अधीन अधिरोपित आरोप प्रमाणित होना नहीं पाए जाते हैं। उक्त आरोपों के संबंध में अभियुक्तगण संदेह का लाभ प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

14. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभियोजन युक्तियुक्त रूप से संदेह से परे यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि अभियुक्त हौलेन्द्र ने दिनांक 30.08.14 को शाम 6:30 बजे या उसके लगभग मौ मेहगांव रोड मंगल ढावा के पास थाना मौ जिला भिण्ड पर मोटरसाईकिल

क्रमांक एम0पी0-07 एम0बी0-2137 को लोक मार्ग पर उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर रवि शर्मा को टक्कर मारकर ऐसी मृत्यु कारित की जो आपराधिक मानव बध की कोटि में नहीं आती। अतः अभियुक्त हौलेन्द्र को संहिता की धारा 304 ए के अधीन में दोषसिद्ध किया जाता है। अभियुक्त हौलेन्द्र एवं मंशाराम के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम के अधीन विरचित आरोप प्रमाणित न पाए जाने से उक्त आरोपों के अधीन दोषमुक्त किया जाता है।

15. अभियुक्त हौलेन्द्र को अभिरक्षा में लिया जाता है, उसके जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं।

16. अभियुक्त की पूर्व दोषसिद्धि के संबंध में कोई तथ्य अभिलेख पर नहीं हैं। अभियुक्त के विचारण के दौरान दिनांक 11.09.17 से दिनांक 03.11.17 तक अभिरक्षा में होने का तथ्य अभिलेख पर है। अभियुक्त हौलेन्द्र नवयुवक है। साथ ही मृतक के संबंध में भी यह तथ्य उल्लेखनीय है कि वह 20 वर्षीय नवयुवक था, ऐसे में उसकी मृत्यु उपरांत उसके माता पिता व परिवारजन के मध्य उसकी कमी का तथ्य भी न्यायालय को ध्यान में रखे जाने योग्य है। अतः उपरोक्त समस्त परिस्थितियों पर विचारोपरांत अभियुक्त हौलेन्द्र को संहिता की धारा 304 ए के अधीन 1 वर्ष 6 माह के कठोर कारावास एवं 500/- रूपए अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में अभियुक्त को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगताया जावे।

17. प्रकरण में जब्त शुदा वाहन एम0पी0-07 एम0बी0-2137 को सुपुर्दगी पर दिए जाने हेतु कोई आदेश नहीं किया गया है। प्रकरण में जब्तशुदा उक्त वाहन के संबंध में तीन माह में अपनी स्वामित्व का प्रमाण पेश करने पर उसके स्वामी को सुनवाई उपरांत लौटाया जावे, अन्यथा उक्त अवधि के अवसान उपरांत वाहन को राजसात किया जावे।

18. निर्णय की एक प्रति अविलंब अभियुक्त को प्रदान की जावे।

19. अभियुक्त द्वारा यदि कोई अवधि निरोध में व्यतीत की गयी हो तो वह दी गयी सजा से मुजरा की जावे, इस संबंध में धारा 428 दप्रस का प्रमाणपत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर,

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित

कर घोषित किया गया।

ए0के0 गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

ए0के0 गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश